2017/00339

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री सीताराम विश्नोई एडवोकेट, नये बस स्टेण्ड के पीछे, चौधरी कॉलोनी रोड़, गंगाशहर, बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 190 / 17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

13.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 23.06.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, नोखा के विभागीय प्रतिनिधि ने अपने जवाब पत्रांक 2388 दिनांक 06.10.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी के पदस्थापन्न की दिनांक वेबसाईड पर उपलब्ध है, जिसे दिया जाना आवश्यक नहीं है। अपीलार्थी को प्रार्थना–पत्र की पंजीका की नकल चाहिए तो उपलब्ध करवाई जा सकती है। अंतरिम निषेधाज्ञा की सूचना उपलब्ध नहीं है। केवियट प्रार्थना–पत्र की पंजीका अलग से संधारित नहीं की गई है। न्याय आपके द्वार में जो निर्णय किये गये है, प्रार्थी चाहे तो उसकी नकल प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा लोक अदालत के अंतर्गत किये गये समस्त निर्णयों की प्रतियां चाही है। प्रार्थना–पत्र में अनवान मुकदमा नम्बर निर्णय दिनांक अंकित नहीं किये है। इस कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। प्रस्तुत किये गये जवाब की प्रति अपीलान्ट को डाक द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, नोखा द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर